



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2014/फाल्गुन 20, 1935

No. 629]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2014/PHALGUNA 20, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

**का.आ. 738 (अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3401 (अ), तारीख 08.11.2013 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 239.000 कि.मी. से 363.300 कि.मी. तक (पंजाब/हरियाणा सीमा—जींद—रोहतक सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 239.000 कि.मी. से 307.000 कि.मी. तक पंजाब/हरियाणा सीमा—जींद सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—III के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर चार लेन में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन, अनुक्षण हेतु 30.03.2012 को प्रस्तुत की गई बोली के लिए मैसर्स जींद हरियाणा बार्डर टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय के.के. टावर्स, दूसरा तल, परेल टैंक रोड, ऑफ, जीडी अम्बेडकर मार्ग, परेल मुम्बई—400012, महाराष्ट्र में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ 01.06.2012 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2011, के साथ पाठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेष्टित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि चार और अधिक लेन खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 53.700 कि.मी. सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), और 15.650 कि.मी. की कुल लम्बाई वाले बाइपासों के लिए नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट

प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से और प्राधिकरण से समापन प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से करार में यथानिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक, जो भी बाद में हो, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

### सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भं.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
287.000 कि.मी. (विद्यमान चैनेज) (डिजाइन चैनेज 286.952 कि.मी.) (जींद जिले में खाटकार गांव के पास.)	53.700 कि.मी.

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की लम्बाई के लिए, आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम और लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है ।
287.000 कि.मी. (विद्यमान चैनेज) (डिजाइन चैनेज 286.952 कि.मी.) (जींद जिले में खाटकार गांव के पास.)	15.650 जींद बाइपास-रा.रा.-71 के 0.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) से प्रारंभ होकर 15.650 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर विलयन स्थल तक

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपए (दो सौ पन्द्रह रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (यथा संशोधित) के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमन्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें ऐसे प्रवर्ग के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
9. ऊपर सारणी 1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग परियोजना की पूर्ण कर ली गई लम्बाई वाले भाग के आधार पर की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा, और उसके बाद उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायतकरार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन और प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किये गये संशोधन की तारीख से छह महीने की अंदर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/670/सीओ/13-14/जीसी पंजाब/हरियाणा बार्डर-जींद (239.000-307.000) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2014

**S.O. 738 (E).**— Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3401 (E), dated 08.11.2013, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 239.000 to kilometer 363.300 (Punjab/Haryana Border-Jind –Rohtak Section) of National Highway No. 71 in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 01.06.2012 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Jind Haryana Border Toll Road Private Limited having its registered office at K K Tower, 2<sup>nd</sup> Floor, Parel Tank Road, Off, GD Ambekar Marg, Parel, Mumbai-400012, Maharashtra (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), for the bid submitted on 30.03.2012 for the development of Punjab/Haryana Border-Jind Section from Km 239.000 to Km 307.000 on National Highway No. 71 (hereinafter referred to as the “said section”) to four laning, operation and maintenance of the said Section under NHDP Phase-III on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 and National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 53.700 km for use of the four and more lane sections ( hereinafter referred to as “base rate”) and at one and half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 15.650 km on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

**TABLE 1**

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 287.000 (existing chainage) (design chainage km 286.952) (near Khatkar Village in Jind District)	53.700

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs.10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length & Names of bypass (in km) for which additional fee is payable	
Km 287.000 (existing chainage) (design chainage km 286.952) (near Khatkar Village in Jind District)	15.650	Jind Bypass taking off at km. 0.000 (Design Chainage) and joining at km. 15.650 (Design Chainage) of NH-71

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules

9. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised and published annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within six months from the date of the preceding revision of fee

[F. No. NHAI/13013/670/CO/13-14/GC Punjab/Haryana Border – Jind (239.000– 307.000) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.